

न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी

समक्ष—श्रीमती वंदना राज पांडेय

विविध आपराधिक प्रकरण क्र.44 / 2012
संस्थित दिनांक— 01.11.2012

1. कृष्णाबाई पति रवजी यादव,
आयु—24 वर्ष, जाति—अहीर,
व्यवसाय—गृहकार्य, निवासी यादव मोहल्ला,
ठीकरी, जिला बड़वानी
2. निखिल पिता रवजी यादव,
आयु—6 माह अवयस्क जनक माता कृष्णाबाई
पति रवजी यादव, निवासी यादव मोहल्ला,
ठीकरी, जिला बड़वानी

.....प्रार्थीगण

वि रु द्ध

रवजी पिता पुंजा यादव,
आयु—28 वर्ष, जाति—अहीर
व्यवसाय—कृषि, निवासी ग्राम
धनोरा, तहसील अंजड
जिला बड़वानी

.....प्रतिप्रार्थी

प्रार्थीगण द्वारा	— श्री पी.के. सुगंधी अधिवक्ता ।
प्रतिप्रार्थी द्वारा	— श्री ए.के. उपाध्याय अधिवक्ता ।

—: आ दे श :-

(आज दिनांक 02/12/2015 को पारित)

1. इस आदेश के द्वारा प्रार्थीगण के आवेदन धारा—125 द.प्र.सं. दिनांक 01.11.12 का निराकरण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रार्थीगण ने प्रतिप्रार्थी से स्वयं के भरण—पोषण हेतु प्रतिमाह 5,000—5,000/—रुपये (अक्षरी पांच—पांच हजार रुपये) कुल 10,000/—रुपये तथा आवेदन का खर्च एवं अधिवक्ता फीस रुपये 5,000/— प्रतिप्रार्थी से दिलवाने का निवेदन किया है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रार्थी क्रमांक 1 प्रतिप्रार्थी की पत्नी है, प्रार्थी क्रमांक 2 प्रतिप्रार्थी एवं प्रार्थी क्रमांक 1 का पुत्र है तथा प्रार्थी क्रमांक 1 का विवाह दिनांक 13.02.11 को प्रतिप्रार्थी से हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था । यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रार्थी क्रमांक 2 के जन्म के पूर्व से ही प्रार्थीगण प्रार्थी क्रमांक 1 के पिता के

पास निवास कर रहे हैं । यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रार्थी क्रमांक 1 की बहन प्रियंका का विवाह प्रतिप्रार्थी की भाभी विद्या के भाई महादेव के साथ इसी दिनांक को हुआ था तथा प्रियंका एवं महादेव का विवाह-विच्छेद जाति रीति रिवाज अनुसार हो चुका है ।

3. प्रार्थीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी क्रमांक 1 का विवाह हिन्दू रीति रिवाज अनुसार दिनांक 13.02.11 को ठीकरी में प्रतिप्रार्थी से हुआ था तथा प्रतिप्रार्थी के भाई की पत्नी विद्या के भाई महादेव का विवाह भी प्रार्थी क्रमांक 1 की बहन प्रियंका से उसी दिन हुआ था । विवाह के बाद से कुछ समय तक प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार वालों ने प्रार्थी क्रमांक 1 को अच्छा रखा । प्रतिप्रार्थी के भाई की पत्नी विद्या के भाई महादेव ने प्रार्थी क्रमांक 1 की बहन को शराब पीकर बेरहमी से मारना-पीटना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थी के रिश्तेदारों ने प्रतिप्रार्थी के परिवार वालों से की, जब प्रियंका का उसके पति के साथ रहना असंभव हो गया तो प्रियंका एवं महादेव का जाति रीति रिवाज अनुसार प्रार्थी क्रमांक 1 के माता-पिता ने तलाक करवा दिया तथा आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक के पूर्व से प्रियंका ठीकरी में रह रही थी, जिसके कारण प्रार्थी क्रमांक 1 को प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार वाले आए दिन परेशान करने लगे, प्रतिप्रार्थी के माता-पिता, जेठ-जेठानी विद्याबाई एवं प्रतिप्रार्थी प्रार्थी क्रमांक 1 से कहते थे कि उसके पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया तथा वह अपने पिता के यहां से हिरा होन्डा मोटरसायकल, फ्रीज, रंगीन टी.वी. एवं सोने की चेन लेकर आ नहीं तो उसे घर नहीं रखेंगे एवं प्रतिप्रार्थी की अन्य जगह शादी कर देंगे, इसी बात को लेकर प्रतिप्रार्थी प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ मारपीट करता था । प्रार्थी क्रमांक 1 ने उन्हें कहा कि उसके पिता गरीब हैं, वे इतनी वस्तुएँ नहीं दे सकते तो प्रतिप्रार्थी की भाभी विद्या कहा कि उसकी बहन को उसके भाई ने छोड़ दिया है एवं प्रार्थी क्रमांक 1 का घर भी बसने नहीं देंगे, सामान लायेगी तभी घर में रखेंगे । घर नहीं बिगड़े इसलिए उन्होंने प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार वालों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग नहीं माने एवसं प्रार्थी क्रमांक 1 को परेशान करने लगे । जब प्रार्थी क्रमांक 1 गर्भवती थी, तब जनवरी 2012 में प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ प्रतिप्रार्थी एवं उसके माता-पिता और जेठ-जेठानी ने मारपीट की, प्रार्थी क्रमांक 1 के दादा मांगीलाल वहां आए, तब प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार वालों ने उनसे भी दहेज की वस्तुओं की मांग की, तब प्रार्थी क्रमांक 1 के दादा प्रार्थी को ठीकरी लेकर आए तथा प्रार्थी क्रमांक 1 की गर्भावस्था में भी प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार वालों ने कोई फिक्र नहीं की एवं प्रार्थी क्रमांक 1 की डिलेवरी सुमन हॉस्पिटल धामनोद में करायी और प्रार्थी क्रमांक 2 का जन्म हुआ, जिसकी चिकित्सा का व्यय रुपये 20,000/- भी प्रार्थी क्रमांक 1 के माता-पिता ने वहन किया, उसके बाद भी प्रतिप्रार्थी एवं उसके घर से कोई प्रार्थीगण को देखने नहीं आया और दहेज के लिये अड़े रहे । प्रार्थी क्रमांक 1 ने मजबूर होकर प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार वालों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-498(ए) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.10.12 को थाना अंजड़ में दर्ज करायी । प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थीगण के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की, प्रार्थी क्रमांक 1 ऐसा कोई काम नहीं जानती, जिससे वह अपना एवं अपने 6 माह के अवयस्क पुत्र का भरण-पोषण कर सके, इस प्रकार प्रार्थीगण अपना भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं हैं, जबकि प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, किंतु वे लालचवश प्रार्थी क्रमांक 1 को दहेज के लिये परेशान कर मारपीट करते हैं, ऐसी स्थिति में अब प्रार्थी क्रमांक 1 का प्रतिप्रार्थी के घर रहना संभव नहीं है । प्रतिप्रार्थी के पिता के पास 14 एकड़ सिंचित कृषि भूमि है, ग्राम धनोरा में उनकी चक्की भी है । प्रार्थी क्रमांक 1 व 2 को अपना जीवन-यापन, भरण-पोषण आदि के लिये प्रत्येक माह 5,000-5,000/- रुपये पृथक-पृथक भरण-पोषण की आवश्यकता

है, जो प्रतिप्रार्थी आसानी से अदा कर सकता है, इसलिए प्रार्थीगण ने भरण—पोषण का आवेदन न्यायालय में पेश किया है ।

4. प्रतिप्रार्थी की ओर से उक्त आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया है कि प्रतिप्रार्थी के भाई की पत्नी विद्या के भाई महादेव ने प्रार्थी क्रमांक 1 की बहन को कभी भी शराब पीकर मारपीट नहीं की और प्रतिप्रार्थी और उसके परिवार ने भी कभी भी प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ दहेज की मांग एवं मारपीट नहीं की । जनवरी 2012 में भी प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार वालों द्वारा कोई मारपीट नहीं की और ना ही प्रार्थी क्रमांक 1 से कोई धन, संपत्ति की मांग की । प्रार्थी क्रमांक 1 ने असत्य आधारों पर अपनी बहन प्रियंका के कहने पर और प्रियंका द्वारा लिखायी गयी झूठी रिपोर्ट में अपना नाम परिवर्तन कर प्रतिप्रार्थी के परिवार से बदला लेने के लिये भा.द.सं. की धारा-498(ए) का असत्य प्रकरण दर्ज कराया है । प्रार्थी क्रमांक 1 सिलाई, कढ़ाई करने में कुशल है और अपना भरण—पोषण कर सकती है । प्रतिप्रार्थी के पिता के पास 14 एकड़ सिंचित कृषि भूमि नहीं है और ना ही उन्हें प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख रुपये की फसल होती प्राप्त होती है । प्रार्थीगण को प्रत्येक माह 5,000—5,000 /—रुपये भरण—पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है और प्रतिप्रार्थी उक्त राशि अदा करने में समक्ष भी नहीं है । प्रतिप्रार्थी प्रार्थीगण को अपने पास रखने, उनका भरण—पोषण करने के लिये तैयार है । प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-498(ए) का प्रकरण 10 माह बाद दर्ज कराया गया है, वास्तव में प्रार्थी क्रमांक 1 उनके समाज की रीति के अनुसार पहली डिलेवरी कराने मायके गयी थी, उसके बाद वापस नहीं आई और तब से लेकर अपने माता—पिता के यहां पर निवास कर रही है । प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थीगण का आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :—

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या प्रार्थी क्रमांक 1 प्रतिप्रार्थी से पर्याप्त कारण से पृथक निवास कर रही है ?
2	क्या प्रार्थीगण स्वयं का भरण—पोषण करने में सक्षम नहीं हैं ?
3	क्या प्रतिप्रार्थी एक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर जानबूझकर प्रार्थीगण को भरण—पोषण करने से इन्कार कर रहा है या उपेक्षा कर रहा है ?
4	क्या प्रार्थीगण प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह 5,000—5,000 /—रुपये भरण—पोषण एवं आवेदन का व्यय पाने के अधिकारी हैं ?

सकारण — निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 4 का निराकरण :—

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कृष्णाबाई (प्र.सा.1) का कथन है कि महादेव उसकी बहन प्रियंका के साथ मारपीट कर विवाद करता था, जिस कारण उन दोनों का विवाह—विच्छेद हो गया था । जब वह प्रतिप्रार्थी की पत्नी के रूप में ग्राम धनोरा में निवास करती थी, तब उसके साथ उसके सास—ससुर और जेठ—जेठानी भी रहते थे, उसकी बहन प्रियंका का महादेव के साथ विवाह—विच्छेद होने के बाद उसके

ससुराल पक्ष के उक्त व्यक्तियों का व्यवहार खराब हो गया और ससुराल के लोग उससे दहेज में फ्रीज, टी.वी., मोटरसायकल और सोने की चेन की मांग करते हुए मारपीट करने लगे, उसकी पिताजी की आर्थिक स्थिति सामान्य है, उसके साथ उक्त दहेज की मांग प्रतिप्रार्थी के परिवार वालों द्वारा करने पर उसने अपने पिता और दादा को यह बात बतायी, उन्होंने भी प्रतिप्रार्थी के परिवार के लोगों को समझाने का प्रयास किया, उसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया । जब वह गर्भवती थी, तब उसके पति, सास-ससुर और जेठ-जेठानी ने उसके साथ मारपीट की, उसके बाद उसके दादाजी घर आए, उन्होंने प्रतिप्रार्थी तथा उसके परिवार वालों को समझाने का प्रयास किया था तथा वे उसको लेकर अपने घर ठीकरी आ गये थे । उसकी डिलेवरी सुमन हॉस्पिटल धामनोद में हुई थी, तब से उसके पति उससे कभी मिलने नहीं आए और बच्चे को भी देखने नहीं आए, उसका घर नहीं टूटे इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं की, 10 माह बाद उसने ससुराल वालों के विरुद्ध रिपोर्ट की थी । उसके पति खेती भी करते हैं और चक्की भी है, उसके पति एक वर्ष में लगभग 9-10 लाख रुपये की आय अर्जित कर लेते हैं, वह अपना एवं अपने पुत्र का भरण-पोषण करने में समर्थ नहीं है । उसे अपने एवं अपने पुत्र के भरण-पोषण के लिये रुपये 5,000-5,000/- प्रतिमाह की आवश्यकता है । साक्षी ने प्रतिप्रार्थी के नाम पर अंकित भूमि के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.1 प्रमाणित भी करायी है एवं पति की कृषि भूमि में नर्मदा पाईप-लाइन होना बताया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.3, अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.2 एवं ससुर के नाम पर जमीन के खसरे की नकल प्र.पी.4 प्रदर्शित करायी है ।

7. प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्रार्थी क्रमांक 1 ने स्वीकार किया कि प्रियंका ससुराल में दो-तीन माह तक रही, प्रियंका का विवाह-विच्छेद प्रार्थी क्रमांक 2 के जन्म के लगभग 5-6 माह पूर्व हो गया था । यह स्वीकार किया कि प्रियंका और महादेव के मध्य में विवाह-विच्छेद की लिखा-पढ़ी की उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रार्थी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि प्रियंका ने महादेव से रुपये प्राप्त कर आपसी सहमति से तलाक लिया था । प्रार्थी ने स्वीकार किया कि प्रियंका के विवाह-विच्छेद के पूर्व तक उसके ससुराल पक्ष का व्यवहार उसके साथ ठीक था । वह अपने माता-पिता के घर राखी एवं अन्य त्यौहारों पर आती-जाती थी और प्रियंका के विवाह-विच्छेद के बाद भी एक-दो बार इसी त्यौहार पर मायके गयी थी । प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रियंका का तलाक होने के बाद उसके साथ मारपीट की गयी थी, तब वह उसके दादाजी के साथ मायके गयी और उसके बाद ससुराल नहीं गयी, लेकिन प्रार्थी ने स्पष्ट किया कि उसे कोई लेने भी नहीं आया था । उसके मायके में लगभग 4-5 माह बाद प्रार्थी क्रमांक 2 का जन्म हुआ । प्रार्थी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उनके समाज में पहली डिलेवरी मायके में होती है तथा इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके दादाजी यह कहकर अपने साथ लेकर आए थे कि प्रार्थी की डिलेवरी मायके में करवाएंगे और प्रतिप्रार्थी के परिवार वालों ने उसकी सहमति दी थी । प्रार्थी ने स्वीकार किया कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है, अंगूठा लगाती है । प्रार्थी ने यह स्वीकार किया कि उसने थाना अंजड़ में रिपोर्ट लिखित में की थी । प्रार्थी ने यह स्वीकार किया कि उनके समाज में किसी विवाद के निराकरण के लिये पंचायत बैठती है, लेकिन उनके विवाद के निराकरण के लिये कोई पंचायत नहीं बुलाई थी, लेकिन स्पष्ट किया कि उनकी बदनामी ना हो इसलिए पंचायत नहीं बुलाई थी । प्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसने प्रतिप्रार्थी की आटा चक्की होने के संबंध में और उसकी वार्षिक आय 9 से 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष होने के संबंध में भी पटवारी से कोई दस्तावेज प्राप्त कर पेश नहीं

किये हैं। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसने अपने आवेदन-पत्र में प्रतिप्रार्थी के पास कृषि भूमि होने का उल्लेख नहीं किया है और आटा चक्की होने का उल्लेख भी नहीं किया है। प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने आवेदन-पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिमाह रुपये 5,000-5,000/- की आवश्यकता किन-किन वस्तुओं के लिये होगी। प्रार्थी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी बहन का तलाक हो जाने के कारण उसने अपने ससुराल वालों के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट की है। प्रार्थी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि प्रतिप्रार्थी बड़ी मुश्किल से केवल अपना एवं अपने माता-पिता का भरण-पोषण कर पाता है तथा प्रतिप्रार्थी उसे अपने साथ रखने हेतु तत्पर है, एवं वह स्वयं ही प्रतिप्रार्थी के साथ रहना नहीं चाहती है। इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने असत्य आधारों पर यह भरण-पोषण का आवेदन प्रस्तुत किया है।

8. साक्षी मांगीलाल (प्र.सा.2) का कथन है कि प्रार्थी उसकी नातिन है, प्रतिप्रार्थी प्रार्थी क्रमांक 1 का पति है। प्रार्थी क्रमांक 1 विवाह के बाद ग्राम धनोरा में रहती थी, ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करते थे तथा फ्रीज, टी.वी., मोटरसायकल एवं सोने की चेन की मांग कर मारपीट करते थे। प्रार्थी क्रमांक 1 को लेने वह दिनांक 01.01.12 को ग्राम धनोरा गया था, जहां पर प्रार्थी क्रमांक 1 रो रही थी, उसने प्रार्थी क्रमांक 1 के ससुराल वालों से पूछा कि प्रार्थी क्रमांक 1 क्यों रो रही है तो उन्होंने बताया था कि जो दहेज मांगा है, वह नहीं देंगे तो प्रतिप्रार्थी की दूसरी जगह शादी कर देंगे, फिर वह कहने लगे कि कृष्णाबाई को नहीं रखेंगे, ले जाओ तब वह कृष्णाबाई को ले आया। उस समय वह गर्भवती थी। प्रार्थी क्रमांक 1 की डिलेवरी धामनोद में करायी थी, जहां उसे पुत्र हुआ, तब भी प्रार्थीगण को देखने कोई नहीं आया, उसने फोन भी किया था, तब भी कोई देखने नहीं आया। प्रतिप्रार्थी के पास 4 एकड़ सिंचित कृषि भूमि है, जिसमें प्रतिवर्ष 8 से 9 लाख रुपये की फसल आ जाती है। प्रतिप्रार्थी के पास चक्की भी है। प्रार्थीगण को अपने भरण-पोषण के लिये प्रतिमाह रुपये 5,000-5,000/- की आवश्यकता है।

9. प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने भी स्वीकार किया है कि प्रियंका का विवाह-विच्छेद उसके पति महादेव से हो चुका है। वह अनिल यादव तथा कालू पटेल निवासी धनोरा एवं ठीकरी को नहीं जानता है, लेकिन साक्षी ने स्वीकार किया है कि उनके गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों ने बैठकर प्रियंका एवं महादेव का तलाक कराया था, उस बैठक में वह भी सम्मिलित था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि हिन्दू समाज में पहली डिलेवरी मायके में होती है। उसे कृष्णाबाई को अपने साथ लेकर आने की दिनांक याद नहीं है, कृष्णाबाई लगभग 8-10 माह मायके में रही थी, उसके बाद ससुराल वालों के विरुद्ध रिपोर्ट की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रियंका का उसके पति से तलाक होने पर उन्हें बहुत बुरा लगा था, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रियंका के तलाक का बदला लेने के लिये उन्होंने प्रार्थी क्रमांक 1 से झूठी रिपोर्ट करायी है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पटवारी या ग्राम पंचायत से प्रतिप्रार्थी की चक्की एवं कृषि भूमि से होने वाली आय के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र या दस्तावेज नहीं लिया। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि प्रार्थी क्रमांक 1 स्वयं प्रतिप्रार्थी के साथ रहना नहीं चाहती है अथवा वह प्रार्थी क्रमांक 1 को प्रतिप्रार्थी के साथ नहीं भेजना चाहता है अथवा उन्होंने यह असत्य आवेदन प्रार्थी क्रमांक 1 से लगवाया है।

10. साक्षी रवजी (प्रति.सा.1) का कथन है कि उसने प्रार्थी क्रमांक 1 को उसके पिताजी के यहां डिलेवरी के लिये भेजा था, जहां प्रार्थी क्रमांक 2 का जन्म हुआ, फिर प्रार्थी क्रमांक 1 ने उनसे कोई बात नहीं की। प्रार्थी क्रमांक 1 जब मायके गयी तो उसके 10 माह बाद उसके विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-498(ए) का प्रकरण दर्ज करा दिया। प्रियंका की उसकी पति महादेव से नहीं जमी तो उन्होंने तलाक करवा लिया। वह मजदूरी करता है, उसके पास 4 एकड़ सिंचित खेती है, उसकी वार्षिक आय 20 से 25 हजार रुपये है (टाईपिंग की गलती से रुपये के बाद संभवतः आय के संबंध में 20 से 25 हजार रुपये प्रतिमाह लिखा गया है, क्योंकि प्रतिप्रार्थी ने पूर्व में अपनी वार्षिक आय ही 20 से 25 हजार रुपये होना बताया है) प्रार्थी क्रमांक 1 उसके साथ अच्छी रहती थी, फिर प्रार्थी क्रमांक 1 उससे अलग इस कारण रह रही है कि उसकी बहन का विवाह-विच्छेद उनके कारण हुआ था, इसलिए वह अलग रह रही है। उसके पिता प्रार्थी क्रमांक 1 के मायके गये थे और समाज के हिसाब से डिलेवरी का सामान देने गये थे, उसके बाद जाने का काम नहीं पड़ा। वह प्रार्थीगण को प्रतिमाह रुपये 6,500/- भरण-पोषण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अदा कर रहा है। वह केवल प्रार्थीगण को प्रतिमाह 1,500/-रुपये से 2,000/-रुपये भरण-पोषण ही दे सकता है तथा उसे कृषि भूमि से प्रतिवर्ष 20 से 25 हजार रुपये आय ही प्राप्त होती है।

11. प्रार्थीगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसके अधिवक्ता ने जवाब उसके हिसाब से पेश किया है, उसे पता था कि अधिवक्ता ने जवाब में क्या लिखा है, लेकिन उसकी याददाश्त कमजोर है एवं वह ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, इसलिए उसे याद नहीं है। प्रतिप्रार्थी ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसके अधिवक्ता को बता दिया था कि वह प्रार्थीगण को प्रतिमाह 1,500/-रुपये से 2,000/-रुपये अदा कर सकता है, यदि उक्त बात नहीं लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि वह अपने पुत्र के जन्म के पहले और बाद में प्रार्थीगण से मिलने उसके मायके नहीं गया था। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसने मजदूरी करने और उसकी आय के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है और कृषि भूमि कितनी है एवं उससे कितनी आय प्राप्त होती है उसके संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि वह शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी पूर्णतः स्वस्थ है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी अपने बहन का तलाक होने के कारण उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसने इस संबंध में अपनी पत्नी को कोई भी सूचना-पत्र नहीं दिया। प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसकी भाभी विद्या प्रार्थी क्रमांक 1 को उसके भाई महादेव से प्रार्थी क्रमांक 1 की बहन प्रियंका का तलाक होने और रिश्ता टूटने के संबंध में तानाकशी करती थी। प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी अनुपस्थिति में जब वह मजदूरी करने जाता था, तब उसकी भाभी उसकी पत्नी के साथ विवाद करती थी। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि वह प्रार्थी को दहेज के लिये तकलीफ देता था और मोटरसायकल, टी.वी. तथा सोने की चेन की मांग करता था, इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि दहेज के कारण उसके घर के सारे सदस्य भी प्रार्थी को प्रताड़ित करते थे। इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसकी भाभी उसकी प्रार्थी को कहती थी कि उसकी बहन को उसके भाई ने छोड़ दिया है, उसका घर भी बसने नहीं देगी।

12. प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसके पास 4 एकड़ सिंचित भूमि है और भाई के पास 3 एकड़ सिंचित एवं पिताजी के पास 3 एकड़ सिंचित भूमि है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी द्वारा राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियां पेश की हैं, वह सही हैं। प्रतिप्रार्थी द्वारा यह जानकारी होने से इन्कार किया है कि एक बच्चे के खाने-पीने, कपड़े पढ़ाई ईलाज आदि में प्रतिमाह 4 से 5 हजार रुपये खर्च होता है। प्रतिप्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी के पास स्वयं के रहने के लिये कोई मकान नहीं है और प्रार्थी क्रमांक 1 के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थी क्रमांक 1 को रहने में परेशानी हो रही थी, लेकिन प्रतिप्रार्थी ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, इसलिए उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि वर्तमान में महंगाई बहुत बढ़ गयी है और खाने-पीने कपड़े आदि की कीमते बहुत बढ़ गयी हैं। प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रार्थीगण को प्रतिमाह 5,000/-5,000/- भरण-पोषण की आवश्यकता है।

13. प्रार्थी क्रमांक 1 ने अपने समर्थन में प्रतिप्रार्थी के नाम से ग्राम धनोरा में कृषि भूमि होने के संबंध में राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपियां पेश की है, जिन्हें सत्य होना प्रतिप्रार्थी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है और उक्त भूमि नर्मदा नदी से सिंचित होना भी उल्लेख है। प्रार्थी क्रमांक 1 ने स्वयं का अशिक्षित होना बताया है, जिसे प्रतिप्रार्थी ने भी स्वीकार किया है। प्रार्थी क्रमांक 1 ने प्रतिप्रार्थी एवं उसके परिवार के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-498(ए) का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है, जो इसी न्यायालय में लंबित है, ऐसी स्थिति में जबकि उक्त आपराधिक प्रकरण में प्रार्थी क्रमांक 1 ने प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध उसके साथ दहेज की मांग करके कूरता किये जाने के संबंध में कथन किये हैं तो प्रथम दृष्टि में प्रार्थी क्रमांक 1 का प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास करने का उचित एवं पर्याप्त कारण प्रतीत होता है। प्रार्थी क्रमांक 1 ने स्वयं की आय का कोई साधन भी नहीं होना बताया है तथा प्रार्थी क्रमांक 2 प्रार्थी क्रमांक 1 एवं प्रतिप्रार्थी का अवयस्क पुत्र है, ऐसे में पिता होने के आधार पर अपने अवयस्क पुत्र के भरण-पोषण का दायित्व भी प्रतिप्रार्थी पर है तथा प्रार्थी क्रमांक 1 का पति होने के कारण उसके भरण-पोषण का दायित्व भी प्रतिप्रार्थी पर है। प्रार्थी क्रमांक 1 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने प्रतिप्रार्थी की आय 9 से 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष होने के संबंध में और उसके पास चक्की होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्राप्त करके पेश नहीं किया है। प्रार्थी क्रमांक 1 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें प्रतिमाह रुपये 5,000-5,000/- भरण-पोषण की आवश्यकता किन-किन वस्तुओं के लिये होगी। यहां तक कि प्रार्थी क्रमांक 1 और उसके साक्षी मांगीलाल (प्र.सा.2) ने भी न्यायालय कथन के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रार्थीगण को प्रतिमाह रुपये 5,000/-5,000/-रुपये भरण-पोषण की आवश्यकता किन-किन मदों में है।

14. प्रतिप्रार्थी ने अपने कथन में मजदूरी तथा खेती से अपनी आय वार्षिक 20 से 25 हजार रुपये होना बतायी है, लेकिन प्रतिप्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है, ऐसी स्थिति में द.प्र.सं. की धारा-125 के प्रयोजन के लिये प्रतिप्रार्थी अपनी पत्नी एवं बच्चे का भरण-पोषण करने के लिये पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होना प्रतीत होता है।

15. यद्यपि प्रार्थीगण की ओर से प्रतिप्रार्थी के नाम से लगभग 4 एकड़ सिंचित कृषि भूमि होने के संबंध में दस्तावेज न्यायालय में प्र.पी.1 का पेश किया है, लेकिन प्रार्थी एवं उसके साक्षी ने यह स्पष्ट कथन नहीं किया कि प्रतिप्रार्थी की वार्षिक आय निश्चित रूप से प्रतिवर्ष 9 से 10 लाख रुपये है और उसे उक्त आय किन साधनों से एवं किस प्रकार से प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में मात्र 4 एकड़ कृषि भूमि प्रतिप्रार्थी के नाम पर होने के आधार पर प्रतिप्रार्थी की वार्षिक आय 9 से 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष होने की उपधारणा नहीं की जा सकती । जहां तक प्रतिप्रार्थी के पिता एवं भाई के नाम से कृषि भूमि होने के संबंध में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का प्रश्न है, वहां इस संबंध में उल्लेखनीय है कि द.प्र.सं. की धारा-125 के प्रावधान अनुसार एक व्यक्ति केवल अपनी पत्नी, संतान एवं माता-पिता के भरण-पोषण के लिये उत्तरदायी है, ऐसी स्थिति में प्रतिप्रार्थी के पिता और भाई के नाम पर अधिक कृषि भूमि होने से उक्त आय को प्रतिप्रार्थी की आय में जोड़ा नहीं जा सकता है ।

16. प्रार्थी क्रमांक 1 ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके पिता के घर की आर्थिक स्थिति सामान्य है और वह वर्तमान में ठीकरी अपने पिता के साथ निवास कर रही है । प्रार्थीगण की ओर से प्रतिप्रार्थी की कृषि भूमि के दस्तावेज प्र.पी.1 के अलावा ऐसी कोई अन्य साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे यह दर्शित हो कि प्रतिप्रार्थी की आय वास्तव में वार्षिक रुपये 9 से 10 लाख रुपये है तथा वह प्रतिप्रार्थी को प्रतिमाह रुपये 5,000-5,000/- भरण-पोषण देने में सक्षम है । प्रतिप्रार्थी ने स्वयं को मजदूर पेशा व्यक्ति होना बताया है ।

17. वर्तमान समय में जीवन की आवश्यक वस्तुओं के दाम अत्यधिक बढ़ गये हैं तथा भरण-पोषण के व्यय में वृद्धि हुई है । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के भरण-पोषण में कपड़े, भोजन, निवास स्थान, शिक्षा, चिकित्सा के व्यय सम्मिलित होना बताया है तथा इस संबंध में न्याय-दृष्टान्त राजेश बर्मन विरुद्ध मितुल चटर्जी एस.सी. सिविल अपील क्रमांक 6443/08 निर्णय दि.04.11.08 प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त न्याय-दृष्टान्त में भरण-पोषण का आदेश हिन्दू दत्तक गृहण एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत पारित किया गया है तथा यह प्रकरण द.प्र.सं. की धारा-125 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है, जिसमें न्यायालय को संक्षिप्त जांच ही की जाना होती है ।

18. इस प्रकार स्पष्ट रूप से साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों से यह दर्शित होता है कि प्रार्थी क्रमांक 1 पर्याप्त कारण से वर्तमान में प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है । प्रार्थीगण की आय का कोई साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी क्रमांक 1 का पति एवं प्रार्थी क्रमांक 2 का पिता होने के कारण उनका भरण-पोषण का दायित्व प्रतिप्रार्थी पर है, लेकिन प्रार्थीगण यह दर्शित करने में सफल नहीं रहे हैं कि उन्हें प्रतिमाह रुपये 5,000-5,000/- रुपये भरण-पोषण की आवश्यकता किन मदों के लिये हैं, प्रार्थीगण यह भी दर्शित करने में सफल नहीं रहे हैं कि प्रतिप्रार्थी उन्हें प्रतिमाह रुपये 10,000/- भरण-पोषण देने में सक्षम है । प्रार्थीगण की ओर से स्वयं प्रतिप्रार्थी के प्रतिपरीक्षण में उसे यह सुझाव दिया गया कि "उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने से वह तथा उसके घर वाले प्रार्थी क्रमांक 1 से दहेज की मांग करते थे ।" ऐसी स्थिति में प्रतिप्रार्थी से पूछा गया उक्त प्रश्न प्रार्थीगण की ओर से यह स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है कि प्रतिप्रार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ।

19. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि वर्तमान में प्रार्थीगण को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में प्रतिमाह रुपये 6,500/- प्राप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में वे उक्त भरण-पोषण से अधिक भरण-पोषण पाने के अधिकारी हैं, लेकिन उक्त अंतरिम भरण-पोषण का आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में गुण-दोषों के आधार पर नहीं है, बल्कि अंतरिम स्वरूप का है । प्रार्थी क्रमांक 1 अपने पिता के साथ गांव में निवासरत् है तथा प्रार्थी क्रमांक 2 अभी बहुत छोटा होकर उसके भरण-पोषण में अधिक राशि व्यय होती है, ऐसा प्रार्थीगण की ओर से प्रमाणित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थीगण प्रार्थी क्रमांक 1 के पिता के साथ गांव में निवास कर रहे हैं तो उनके भरण-पोषण, चिकित्सा तथा कपड़े आदि का व्यय बहुत अधिक होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है ।

20. इस प्रकार उभयपक्ष की साक्ष्य एवं दस्तावेजों तथा प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी की आर्थिक, सामाजिक स्थिति एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रार्थीगण प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह रुपये क्रमशः 3,000/- एवं 2,000/- कुल 5,000/- रुपये भरण-पोषण पाने के अधिकारी प्रतीत होते हैं । प्रार्थीगण ने आवेदन के खर्च तथा अधिवक्ता फीस के रूप में रुपये 5,000/- भी प्रतिप्रार्थी से दिलवाने का निवेदन किया है, लेकिन इस संबंध में उनकी ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह दर्शित हो कि प्रार्थीगण को आवेदन के खर्च एवं अधिवक्ता फीस के रूप में रुपये 5,000/- व्यय लगा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण उक्त आवेदन के व्यय के रूप में रुपये 1,000/- (अक्षरी एक हजार रुपये) प्रतिप्रार्थी से पाने के अधिकारी प्रतीत होते हैं ।

21. अतः प्रार्थीगण का प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत 125 द.प्र.सं. को स्वीकार करते हुए प्रतिप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक से प्रार्थी क्रमांक 1 को प्रतिमाह रुपये 3,000/- (अक्षरी तीन हजार रुपये) एवं प्रार्थी क्रमांक 2 को प्रतिमाह रुपये 2,000/- (अक्षरी दो हजार रुपये) कुल 5,000/- रुपये (अक्षरी पांच हजार रुपये) प्रत्येक माह की 10 तारीख को अदा करे या न्यायालय में जमा करे, चूंकि प्रार्थी क्रमांक 2 अवयस्क होकर प्रार्थी क्रमांक 1 के साथ निवास कर रहा है, अतः प्रार्थी क्रमांक 2 के लिये उक्त राशि प्रार्थी क्रमांक 1 पाने की अधिकारी है तथा प्रार्थी क्रमांक 2 के पक्ष में उक्त आदेश उसके वयस्क होने की तिथि तक ही प्रभावशील रहेगा ।

22. इस आवेदन का व्यय रुपये 1,000/- भी प्रार्थीगण को प्रतिप्रार्थी द्वारा अदा किया जाए ।

23. आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थीगण को निःशुल्क दी जाए ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

